


फर्द अहकाम

रामप्यारी

बनाम जयनारायण

न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

स्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 134/2023

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई प्रार्थी एवं अप्रार्थी से. 1 व 2 एवं 3 व 4 के अधिकता उपस्थित। मूल वादपत्र में प्रार्थना पत्र नाम दृजफ़ स्वीकार किया जाकर वादी/प्रार्थी से 1 के नाम के आगे दौरान दावा फौत नाम दृजफ़ शब्द अंकित किये जाते हैं आदेश किये जा चुके हैं अतः प्रार्थना पत्र F-2 में उक्तानुसार संशोधन किये जाते हैं आदेश किये जाते हैं अप्रार्थी से. 1 लगा 4 ने प्रा. पत्र का जवाब नहीं देकर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। उभयपक्ष अधिकता करि प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस लुनी गयी।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिकता द्वारा दौरान बहस जादिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त उचित समझते हुए विवादित आरज़ी खसरा नं. 245, 19, 247, 292, 85 स्थित ग्राम बिराजपुरा प-ह. रोडाभारा भू.अ.नि. दूधली तह-बस्सी ज़ि. जयपुर के संबंध में उभयपक्षों की जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ताफ़ैसल वाद के मौक़े एवं रिकार्ड कि यथास्थिति बनाये रखें। काशन के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य न करें।</p> <p>पत्रावली केसल जुमार होकल बाद तकमाल दाखिल दफ़्तल होकल नम्बर से कम हों।</p>	<p>प T स्वर जि. ले. 3 व 4  रामप्यारी</p>

रामप्यारी